कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1994 – 95

निदेशालय,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

NIEPA DC
D09326

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ST-9326
Date 22-10-96

:: प्राक्कथन ::

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का वर्ष 1994-95 का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में विभाग की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विभाग की उपलब्धियों को बतलाया गया है । केन्द्र सरकार की सहायता से भी राज्य में शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है । ऐसी समस्त योजनाओं की जानकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गई है ।

आशा है विभागीय गतिविधियों का यह प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों शिक्षा योजनाकारों, शोधकर्त्ताओं, प्रशासकों एवं अन्य सम्बन्धितों के लिये उपयोगी होगा । इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

(निहाल चन्द गोयल)
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

दिनांक:- 21. 3. 96

प्रकाशन में सहयोगी सांख्यिकी अधिकारी/कर्मचारी

निर्देशन :

श्री जे0के0 सेठिया : उप निदेशक (सांख्यिकी)

प्रारूप लेखन एवं सज्जा :

(1) श्री गौरीशंकर व्यास : सांख्यिकी सहायक
(2) श्री सत्य प्रकाश शुक्ला : " "
(3) श्री भैरू सिंह : " "
(4) श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे : " "

संकलन :

(1) श्री दिनेश कुमार कुमावत : संगणक
(2) श्री मुरारीलाल वर्मा : संगणक

टंकणकर्ता :

(1) श्री नरेन्द्र कुमार : कनिष्ठ लिपिक

अनुक्रमणिका

कहां क्या है	पृष्ठ संख्या
1- सामान्य परिचय	01
2- शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप	01 से 04
3- शैक्षिक प्रगति	04 से 08
1. पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक	05 से 06
2. उच्च प्राथमिक	06 से 07
3. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	07 से 08
4- बालिका शिक्षा	08 से 10
5- केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	11 से 21
विकलांग शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड, सिमान्त क्षेत्रिय शैक्षिक विकास कार्यक्रम, विद्यालयों में पर्यावरण, डाईट्स, जनसंख्या शिक्षा योजना, शिक्षा कर्मी योजना, लोक जुम्बिश परियोजना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, संस्कृत छात्रवृति, व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षण सुधार योजना, अ. जा. /ज. जाति छात्रों को प्रतिभा विकास योजना, आई. ए. एस. ई. /सी. टी. ई, ई. टी योजना, एस. आई. ई. आर. टी. सुदृढ़ीकरण योजना, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सघन क्षेत्र कार्यक्रम, एस. आई. ई. आर. टी. में अंग्रेजी शिक्षा के लिए जिला केन्द्रीय योजना, अंग्रेजी शिक्षा उन्नयन योजना, क्लास प्रोजेक्ट योजना, जवाहर नवोदय विद्यालय योजना	
6- शिक्षा के क्षेत्र में अन्य योजनाऐं -	22 से 24
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, श्रेष्ठ परिक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों को प्रोत्साहन, छठा राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वे, शिक्षक सदन, विद्यालय संकुल की स्थापना	
7- शारीरिक शिक्षा	24
8- आयोजना एवं प्रशासन	24 से 31
8.1 योजना एवं लेखा	24 से 25
8.2 पेंशन एवं स्थिरीकरण	25 से 26
8.3 न्यायिक प्रकरण	26
8.4 विभागीय जांच	27
8.5 राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूचियां प्रकरण	27
8.6 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	28
8.7 हितकारी निधि	28
8.8 छात्रवृतियां	29 से 30
8.9 अनुदानित संस्थाऐं	30
8.10 शिक्षक दिवस	31
9- पुस्तकालय (समाज शिक्षा)	31 से 32
10- शिक्षक प्रशिक्षण	32 से 33
11- शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं	33 से 34
12- विभागीय प्रकाशन	34
13- शिक्षक संघ	34 से 35
14- विशिष्ठ शैक्षिक अभिकरण	35
15- शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित सारणियां	36 से 38

सामान्य परिचयः-

राजस्थान राज्य के कुल 31 जिले है, जिनमें क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को दृष्टि से पर्याप्त असमानता है । क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर सबसे बड़ा व धौलपुर सबसे छोटा जिला है । राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 342229 वर्ग किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के पश्चात द्वितीय स्थान पर आता है । 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान कुल जनसंख्या 4.40 करोड़ है । इसमें 2.304 करोड़ पुरूष एवं 2.096 करोड़ महिलाऐं है । 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0.760 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.547 करोड़ है । राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व 129 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो-मीटर है । राज्य में कुल 222 कस्बे /शहर एवं 39810 ग्राम है ।

जनगणना 1981 और 1991 के बीच जहां भारत का साक्षरता प्रतिशत 8.56 बढ़ा है वहाँ इसी अवधि में राजस्थान में भी साक्षरता प्रतिशत 8.46 बढ़ा है । राजस्थान की 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 8.95 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत 38.55 हो गया है जिसमें पुरूषों का 54.99 एवं महिलाऐं 20.44 प्रतिशत है । 1991 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 30.37 प्रतिशत जिसमें 47.64 % पुरूष एवं 11.59 % महिलाऐ है । राजस्थान के शहरी क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 65.33 % जिसमें पुरूष 78.50 % एवं महिलाएं 50.24 % है । राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 1951 से 1991 तक 4 गुणा से अधिक बढ़ा है ।

(2) शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप :-

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान , बीकानेर के निदेशक पद पर वर्ष 94-95 में श्री तपेश पवार दिनांक 1.10.93 से 29.11.94 तक एवं श्री निहाल चन्द गोयल आई0ए0एस0 दिनांक 30.11.94 से निदेशक के पद पर कार्यरत है ।

(क) निदेशालय :-

(1) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर मुख्यालय पर निम्नलिखित अधिकारी है :-

1- निदेशक - आई0ए0एस0

2- विशेषाधिकारी- आई0ए0एस0 (प्राथमिक शिक्षा)

3- मुख्य लेखाधिकारी

4- अपर निदेशक - 2 (प्राथमिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा)

5- अतिरिक्त निदेशक - आर०एस०एस० (सामान्य प्रशासन)

6- संयुक्त निदेशक - 3 (कार्मिक, प्राथमिक एवं प्रशासन)

7- उप निदेशक -6 (प्रशासन, योजना, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षण प्रशिक्षण)

8- उप निदेशक (सांख्यिकी)

9- उप निदेशक (क)

10- वरिष्ठ लेखाधिकारी

11- निरीक्षक शारीरिक शिक्षा (जि०शि०अ०)

12- वरिष्ठ सम्पादक (जि०शि०अ०)

13- जिला शिक्षा अधिकारी (अल्प भाषाई)

14- सहायक निदेशक -4

15- लेखाधिकारी -3

16- स्टाफ ऑफिसर

17- शोध अधिकारी

18- सहायक विधि परामर्शी

19- वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी - 15

20- सम्पादक विभागीय प्रकाशन

21- उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा०शि०)

22- जनसम्पर्क अधिकारी

23- सांख्यिकी अधिकारी

24- वरिष्ठ प्रकाशन सहायक

25- शिक्षा प्रसार अधिकारी -2

26- व्याख्याता - 4

27- प्रशिक्षक -4

28- मूल्यांकन अधिकारी

29- सहायक लेखाधिकारी -13

30- मु० विधि सहायक

31- प्रशासनिक अधिकारी -4

(ii) निदेशालय समाज शिक्षा

1- उप निदेशक

2- सहायक निदेशक

3- व्याख्याता

4- सहायक शैक्षिक अधिकारी

(iii) पंजोयक शिक्षा विभागीय परिधारें :

1- पंजोयक

2- वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी

3- उप पंजोयक

(ख) मण्डल स्तर

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के कार्य एवं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मण्डल कार्यालयों का गठन किया गया है । प्रत्येक मण्डल में दो कार्यालय है, पुरूष एवं महिला । जिसके अधीनस्थ क्रमशः बालक एवं बालिका शिक्षण संस्थाऐं है ।

क्र.स.	मण्डल का नाम	अधीनस्थ जिले
1.	उप निदेशक (पुरूष/महिला) जयपुर	जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, दौसा
2.	उप निदेशक (पुरूष/महिला) अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक
3.	उप निदेशक (पुरूष/महिला) बीकानेर	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़
4-	उप निदेशक (पुरूष/महिला) जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर
5-	उप निदेशक (पुरूष/महिला) कोटा	कोटा, झालावाड़, बून्दी, सवाईमाधोपुर, बांरा
6-	उप निदेशक (पुरूष/महिला) उदयपुर	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड, राजसमंद

(ग) जिला स्तरीय प्रशासन

राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के तीन पद है । केवल जयपुर जिले में 4 पद है । जिला स्तर पर निम्नलिखित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाऐं)
2. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाऐं)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

प्रत्येक जिले में शहरी क्षेत्र के प्राथमिक एवं जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्र) के परिवीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा), जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिवीक्षण हेतु जिला.....

शिक्षा अधिकारी (छात्र) तथा शहरी क्षेत्र के बालिका प्राथमिक, समस्त जिले के बालिका उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिनिरीक्षण हेतु जिला अधिकारी (छात्रा) कार्यरत हैं ।

राज्य में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था का दायित्व ग्रामीण क्षेत्र विकास एवं पंचायती राज विकास के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंपा गया तथा शैक्षिक मार्गदर्शन एवं शिक्षा सम्बन्धित अन्य कार्य शिक्षा विभाग के अधीन है ।

जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य जिले की समस्त अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखना, उनसे सूचनायें एकत्र कर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार, निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना है । शैक्षिक संस्थाओं पर प्रशासनिक नियन्त्रण बनाये रखने का दायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी का ही है । इनके कार्य की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है ।

(3) शैक्षिक प्रगति :-

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अब तक सुनियोजित प्रयासों के परिणाम से शिक्षा और साक्षरता में काफि वृद्धि हुई है । राजस्थान की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत थी बढ़कर 1991 में 38.55 प्रतिशत हो गयी है । जबकि भारत की साक्षरता प्रतिशत 52.21 है । 1951 की तुलना में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 8 गुणा, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 15 गुणा, माध्यमिक विद्यालयों में 19 गुणा और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45 गुणा वृद्धि हुई है । विद्यार्थियों की संख्या 18400 से बढ़कर 2.50 लाख हो गयी है । जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत प्राथमिक है । राज्य के 6-14 आयु वर्ग के केवल 10 लाख छात्र-छात्राओं को शिक्षा सुविधा वर्ष 1951 में उपलब्ध थी जो वर्तमान में बढ़कर 78 लाख हो गई है । वर्ष 1975-76 में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय 23 रूपये था व बढ़कर वर्तमान में करीब 214 रूपये हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत 208 रूपये से अधिक है । राज्य सरकार निरन्तर शिक्षा के क्षेत्र में विकास तथा प्रसार कर रही है और हर वर्ष इन प्रयासों में वृद्धि की जा रही है । आलोच्य वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ।

पूर्व प्राथमिक :-

वर्ष 1994-95 में राज्य में कुल 26 पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है । जिसमें 14 छात्र एवं 12 छात्रा स्तर के है । इन विद्यालयों में कुल 4980 विद्यार्थी अध्ययनरत है । इनमें 2688 छात्र तथा 2292 छात्राऐं है । इन विद्यालयों में कुल 257 अध्यापक कार्यरत है जिनमें से 31 पुरूष 206 महिलाऐं है । ग्रामीण क्षेत्र में केवल चार पूर्व प्राथमिक विद्यालय है ।

1. प्राथमिक -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्धारित लक्ष्यों तथा उसमें वर्ष 1992 में किये गये संशोधन से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर विशेष बल दिया गया है । 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा एवं साक्षरता के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1994-95 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जो गत वर्ष की तुलना में दुगना है । राज्य में शिक्षा हेतु स्वीकृत योजना बजट का लगभग 60% व्यय प्रारम्भिक शिक्षा पर किया जा रहा है ।

राज्य में वर्ष 94-95 में सन्दर्भ तिथि 30 सितम्बर, 1994 के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 32960 हो गई जिनमें 30837 छात्र विद्यालय एवं 2123 छात्रा विद्यालय है । इन विद्यालयों में कुल अध्यापक 92938 कार्यरत है । जिसमें 67370 पुरूष एवं 25568 महिलाऐं हैं ।

वर्ष 1994-95 में प्रारम्भिक औपचारिक शिक्षा के 6-11 आयु वर्ग का नामांकन लक्ष्य 61.44 लाख अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य 8.99 लाख, अनुसूचित जनजाति का नामांकन लक्ष्य 6.36 लाख रखा गया था । कुल 55.59 लाख नामांकन की उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसमें 36.06 लाख छात्र एवं 19.53 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 9.16 लाख है जिसमें 6.28 लाख छात्र एवं 2.88 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जनजाति नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 5.86 लाख है जिसमें 4.16 लाख छात्र एवं 1.70 लाख छात्राऐं है ।

.....6....

वर्ष 94-95 में ग्रामीण क्षेत्र में 2268 तथा शहरी क्षेत्र में 50 नवीन प्राथमिक विद्यालय राज्य योजना में खोले गये है । नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु 9607 शिक्षकों के पदों का सृजन एवं न्यूनतम आवश्यक सामग्री हेतु बजट स्वीकृत किया गया । राज्य के 4003 एकल अध्यापकीय विद्यालय में दूसरा अध्यापक उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि एवं छात्रों के विद्यालयों में ठहराव में सुधार तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बालक-बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन हेतु कक्षा । से 5 तक छात्र-छात्राओं तथा कक्षा । से 8 तक की छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई जिन पर 10.70 करोड़ रूपये व्यय किये गये है । इस योजना से 46 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए है ।

जनजाति एवं सरुस्थलीय क्षेत्र के 9 जिलों के कक्षा । से 5 तक छात्र/छात्रा को वर्ष 94-95 में प्रोत्साहन के रूप में नि:शुल्क पोशाक वितरण की व्यवस्था की गई, इसके लिए 75 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस योजना के त तहत 83334 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए ।

प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु 20 नये बारिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय खोले गये ।

वर्ष 94-95 में 4000 प्राथमिक विद्यालयों के लिए ब्लैकबोर्ड, हरी पट्टियां बाबत प्रत्येक विद्यालय तीन हजार रूपये, कुल 120 लाख रूपये आंवटित किये गये ।

§ 11 § उच्च प्राथमिक –

राजस्थान वर्ष 94-95 में सन्दर्भ तिथि 30 सितम्बर, 1994 के अधार पर कुल 11235 उच्च प्राथमिक विद्यालय है । जिनमें 9893 छात्र विद्यालय एवं 1342 छात्रा विद्यालय है । इन विद्यालयों में कुल 8797 अध्यापक अध्यापक कार्यरत है जिनमें 64959 पुरूष एवं 23012 महिला अध्यापक है । 11-14 आयु वर्ग के समस्त जाति के विद्यार्थियों का वर्ष 94-95 में नामांकन लक्ष्य 19.01 लाख रखा गया । जिनमें 14.23 लाख छात्र एवं 4.78 लाख छात्राऐं । अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन लक्ष्य 2.63 लाख रखा गया जिनमें 2.24 लाख छात्र एवं 0.39 लाख छात्राऐं । इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन लक्ष्य 1.82 लाख रखा गया जिनमें 1.53 लाख छात्र एवं 0.29 लाख छात्राऐं । समस्त जाति के विद्यार्थियों का नामांकन उपलब्धि वर्ष 94-95 में § 30 सितम्बर, 1994 के आधार पर §

.....7....

-5- अतिरिक्त निदेशक - आर०ए०एस० (सामान्य प्रशासन)

6- संयुक्त निदेशक - 3 (कार्मिक, प्राथमिक एवं प्रशासन)

7- उप निदेशक -6 (प्रशासन, योजना, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षण प्रशिक्षण)

8- उप निदेशक (सांख्यिकी)

9- उप निदेशक (क)

10- वरिष्ठ लेखाधिकारी

11- निरीक्षक शारीरिक शिक्षा (जि०शि०अ०)

12- वरिष्ठ सम्पादक (जि०शि०अ०)

13- जिला शिक्षा अधिकारी (अल्प भाषाई)

14- सहायक निदेशक -4

15- लेखाधिकारी -3

16- स्टॉफ ऑफिसर

17- शोध अधिकारी

18- सहायक विधि परामर्शी

19- वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी - 15

20- सम्पादक विभागीय प्रकाशन

21- उप जिला शिक्षा अधिकारी (ग्रा०शि०)

22- जनसम्पर्क अधिकारी

23- सांख्यिकी अधिकारी

24- वरिष्ठ प्रकाशन सहायक

25- शिक्षा प्रसार अधिकारी -2

26- व्याख्याता - 4

27- प्रशिक्षक -4

28- मूल्यांकन अधिकारी

29- सहायक लेखाधिकारी -13

30- मु० विधि सहायक

31- प्रशासनिक अधिकारी -4

(2) निदेशालय समाज शिक्षा

1- उप निदेशक

2- सहायक निदेशक

3- व्याख्याता

4- सहायक शैक्षिक अधिकारी

(iii) पंजोयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ :

1- पंजोयक

2- वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी

3- उप पंजोयक

(ख) मण्डल स्तर

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के कार्य एवं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मण्डल कार्यालयों का गठन किया गया है । प्रत्येक मण्डल में दो कार्यालय है, पुरूष एवं महिला । जिसके अधोनस्थ क्रमशः बालक एवं बालिका शिक्षण संस्थाएँ है ।

क्र. सं.	मण्डल का नाम	अधोनस्थ जिले
1.	उप निदेशक (पुरूष/महिला) जयपुर	जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, दौसा
2.	उप निदेशक (पुरूष/महिला) अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक
3.	उप निदेशक (पुरूष/महिला) बीकानेर	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़
4-	उप निदेशक (पुरूष/महिला) जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर
5-	उप निदेशक (पुरूष/महिला) कोटा	कोटा, झालावाड़, बून्दी, सवाईमाधोपुर, बांरा
6-	उप निदेशक (पुरूष/महिला) उदयपुर	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड, राजसमंद

(ग) जिला स्तरीय प्रशासन

राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के तीन पद है । केवल जयपुर जिले में 4 पद है । जिला स्तर पर निम्नलिखित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएँ)
2. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएँ)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

प्रत्येक जिले में शहरी क्षेत्र के प्राथमिक एवं जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्र) के परिवीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा), जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिवीक्षण हेतु जिला.....

शिक्षा अधिकारी (छात्र) तथा शहरी क्षेत्र के बालिका प्राथमिक, समस्त जिले के बालिका उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिवीक्षण हेतु जिला (शिक्षा) अधिकारी (छात्रा) कार्यरत हैं।

राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था वर्ष 1959 में लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों का प्रबन्ध व्यवस्था का दायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विकास के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंपा गया तथा शैक्षिक मार्गदर्शन एवं शिक्षा सम्बन्धित अन्य कार्य शिक्षा विभाग के अधीन है।

जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य जिले की समस्त अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखना, उनसे सूचनाएँ एकत्र कर आवश्यकतानुसार राज्य सरकार, निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना है। शैक्षिक संस्थाओं पर प्रशासनिक नियन्त्रण बनाये रखने का दायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी का ही है। इनके कार्य की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है।

(3) शैक्षिक प्रगति :-

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अथक सुनियोजित प्रयासों के परिणाम से शिक्षा और साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है। राजस्थान की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत था बढ़कर 1991 में 38.55 प्रतिशत हो गया है। जबकि भारत का साक्षरता प्रतिशत 52.21 है। 1951 की तुलना में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 8 गुणा, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 15 गुणा, माध्यमिक विद्यालयों में 19 गुणा और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45 गुणा वृद्धि हुई है। शिक्षकों की संख्या 18600 से बढ़कर 2.50 लाख हो गयी है। जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत प्रशिक्षित है। राज्य के 6-14 आयु वर्ग के केवल 10 लाख छात्र-छात्राओं को शिक्षा सुविधा वर्ष 1951 में उपलब्ध थी जो वर्तमान में बढ़कर 78 लाख हो गई है। वर्ष 1975-76 में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय 23 रुपये था व बढ़कर वर्तमान में लगभग 214 रुपये हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत 208 रुपये से अधिक है। राज्य सरकार निरन्तर शिक्षा के क्षेत्र में विकास तथा प्रसार कर रही है और इस दिशा में प्रयासों में वृद्धि की जा रही है। आलोच्य वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

पूर्व प्राथमिक :--

वर्ष 1994-95 में राज्य में कुल 26 पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है । जिसमें 14 छात्र एवं 12 छात्रा स्तर के है । इन विद्यालयों में कुल 4980 विद्यार्थी अध्ययनरत है । इनमें 2688 छात्र तथा 2292 छात्राऐं है । इन विद्यालयों में कुल 237 अध्यापक कार्यरत है जिनमें से 31 पुरूष 206 महिलाऐं है । आयोग क्षेत्र में केवल चार पूर्व प्राथमिक विद्यालय है ।

1. प्राथमिक --

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्धारित लक्ष्यों तथा उसमें वर्ष 1992 में किये गये संशोधन में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर विशेष बल दिया गया है । 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा एवं साक्षरता के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1994-95 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जो गत वर्ष की तुलना में दुगना है । राज्य में शिक्षा हेतु स्वीकृत योजना बजट का लगभग 60% व्यय प्रारम्भिक शिक्षा पर किया जा रहा है ।

राज्य में वर्ष 94-95 में सन्दर्भ तिथि 30 सितम्बर, 1994 के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 32960 हो गई जिनमें 30837 छात्र विद्यालय एवं 2123 छात्रा विद्यालय है । इन विद्यालयों में कुल अध्यापक 92938 कार्यरत है । जिनमें 67370 पुरूष एवं 25568 महिलाऐं हैं ।

वर्ष 1994-95 में प्रारम्भिक अनौपचारिक शिक्षा के 6-11 आयु वर्ग का नामांकन लक्ष्य 61.44 लाख अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य 8.99 लाख; अनुसूचित जनजाति का नामांकन लक्ष्य 6.36 लाख रखा गया था । कुल 55.59 लाख नामांकन को उपलब्धि प्राप्त हुई है जिनमें 36.06 लाख छात्र एवं 19.53 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 9.16 लाख है जिनमें 6.28 लाख छात्र एवं 2.88 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जनजाति नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 5.86 लाख है जिनमें 4.16 लाख छात्र एवं 1.70 लाख छात्राऐं है ।

वर्ष 94-95 में ग्रामीण क्षेत्र में 2268 तथा शहरी क्षेत्र में 50 नवीन प्राथमिक विद्यालय राज्य योजना में खोले गये है । नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु 9607 शिक्षकों के पदों का सृजन एवं न्यूनतम आवश्यक सामग्री हेतु बजट स्वीकृत किया गया । राज्य के 4003 एकल अध्यापकीय विद्यालय में दूसरा अध्यापक उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि एवं छात्रों के विद्यालयों में ठहराव में सुधार तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बालक-बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन हेतु कक्षा । से 5 तक छात्र-छात्राओं तथा कक्षा । से 8 तक की छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई जिन पर 10.70 करोड़ रूपये व्यय किये गये है । इस योजना से 46 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए है ।

जनजाति एवं मरूस्थलीय क्षेत्र के 9 जिलों के कक्षा । से 5 तक छात्र/छात्रा को वर्ष 94-95 में प्रोत्साहन के रूप में नि:शुल्क पोशाक वितरण की व्यवस्था की गई, इसके लिए 75 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस योजना के त तहत 83334 छात्र/छात्रा लाभान्वित हुए ।

प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु 20 नये बारिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय खोले गये ।

वर्ष 94-95 में 4000 प्राथमिक विद्यालयों के लिए ब्लैकबोर्ड, दरी पट्टियां बाबत प्रत्येक विद्यालय तीन हजार रूपये, कुल 120 लाख रूपये आंवटित किये गये ।

§ 11 § उच्च प्राथमिक –

राजस्थान की 94-95 में सन्दर्भ तिथि 30 सितम्बर, 1994 के अधार पर कुल 11235 उच्च प्राथमिक विद्यालय है । जिनमें 9893 छात्र विद्यालय एवं 1342 छात्रा विद्यालय है । इन विद्यालयों में कुल 87971 अध्यापक अध्यापक कार्यरत है जिनमें 64959 पुरूष एवं 23012 महिला अध्यापक है । 11-14 आयु वर्ग के समस्त जाति के विद्यार्थियों का वर्ष 94-95 में नामांकन लक्ष्य 19.01 लाख रखा गया । जिसमें 14.23 लाख छात्र एवं 4.78 लाख छात्राऐं । अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन लक्ष्य 2.63 लाख रखा गया जिनमें 2.24 लाख छात्र एवं 0.39 लाख छात्राऐं । इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन लक्ष्य 1.82 लाख रखा गया जिनमें 1.53 लाख छात्र एवं 0.29 लाख छात्राऐं । समस्त जाति के विद्यार्थियों का नामांकन उपलब्धि वर्ष 94-95 में § 30 सितम्बर, 1994 के आधार पर §

.....7....

16.47 लाख प्राप्त की गई जिसमें 12.14 लाख छात्र एवं 4.33 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जाति को लक्ष्य प्राप्ति 2.20 लाख जिनमें 1.78 लाख छात्र एवं 0.42 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जनजाति नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 1.35 लाख जिसमें 1.13 लाख छात्र एवं 0.22 लाख छात्राऐं है ।

वर्ष 94-95 में 1192 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया जिनमें 1103 छात्र एवं 89 छात्रा विद्यालय है । उक्त शालाओं में सघन क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 20 छात्र तथा 2 छात्रा प्राथमिक विद्यालय को विशेष रूप से क्रमोन्नत किया है । इनमें 1 द्वितीय श्रेणी अध्यापक एवं 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद आवंटित किया जा चुका है ।

वर्ष 92-93 व 93-94 में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमशः 96 एवं 100 के लिए कक्षा 7 व 8 हेतु मानदण्ड के अनुसार क्रमशः 144 व 200 तृतीय श्रेणी अध्यापक पदों का आवंटन किया गया है ।

वर्ष 94-95 में 2000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए फर्नीचर, दरी पट्टियां बाबत प्रत्येक विद्यालय को तीन हजार रूपये कुल 60 लाख रू. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथ.शि.) को आवंटित किये गये है ।

जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत 999 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1789 कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु 1574.32 लाख रू की स्वीकृति जारी की गयी है । जिसमें शिक्षा विभाग का अंश 425.07 लाख है ।

(111) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक :-

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एवं विस्तार किया है । राज्य में वर्ष 94-95 में सन्दर्भ तिथि 30, सितम्बर, 1994 के आधार पर 3281 माध्यमिक विद्यालय तथा 1281 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है जिनमें से क्रमशः 2847 छात्र 434 छात्रा एवं 1005 छात्र व 276 छात्रा विद्यालय है । माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक 41516 है जिनमें 31168 पुरूष एवं 10348 महिलाऐं है । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक 35880 है जिनमें से 25329 पुरूष एवं 10551 महिलाऐं है ।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 94-95 में स्तरानुसार (कक्षा 9 से 12) कुल नामांकन लक्ष्य 10.63 लाख (8.55 लाख छात्र एवं 2.08 लाख छात्रा) का रखा गया ।

माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में स्तरानुसार कक्षा 9 से 12 में नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 10.06 लाख जिनमें 7.70 लाख छात्र एवं 2.36 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 1.16 लाख जिसमें से 1.02 लाख छात्र एवं 0.14 लाख छात्राऐं है । अनुसूचिज जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कुल 0.79 लाख जिसमें 0.70 लाख छात्र एवं 0.09 लाख छात्राऐं है ।

वर्ष 94-95 में 148 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 165 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10 नये संकाय तथा 10 नये विषय खोले गये है । व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिए 15 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व मैट्रिक व्यावसायिक शिक्षा शुरू करदी गई है ।

वर्ष 94-95 में स्कूल कलस्टर योजना के अन्तर्गत 30 विद्यालयों हेतु 0.90 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है ।

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 6 संभागीय मुख्यालयों पर 50-50 की क्षमता के बालिका छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है । इसके लिए 120.00 लाख रूपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिये गये है ।

§ 45 बालिका शिक्षा :-

आजादी से पूर्व बालिका शिक्षा स्थिति अच्छी नहीं थी । कम ही परिवारों में बालिकाऐं शिक्षा प्राप्त करती थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामान्य शिक्षा के साथ-साथ बालिका शिक्षा के विकास के भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिसके फलस्वरूप महिला शिक्षा की राज्य में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है । सन् 1951 की जनगणना अनुसार राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत 3 था जो 1991 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 20.44 प्रतिशत हो गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत 11.59 है जबकि शहरी क्षेत्र का महिला साक्षरता प्रतिशत 50.24 है । भारत का महिला साक्षरता प्रतिशत 39.29 है । राजस्थान में 1981 से 1991 की तुलना में 10 वर्षीय महिला साक्षरता दर 6.45 % बढ़ी है ।

.....9...

राजस्थान में 30 सितम्बर 94 को बालिका शिक्षा के 12 पूर्व प्राथमिक 2123 प्राथमिक 1342 उच्च प्राथमिक 434 माध्यमिक एवं 276 उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं । 276 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों मेंसे 37 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है ।

राज्य में कुल 69685 महिला अध्यापक कार्यरत है इनमें विद्यालयवार इस प्रकार है – पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में 206 प्राथमिक विद्यालयों में 25568, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 23012, माध्यमिक विद्यालयों में 10348 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10551 महिला अध्यापक है ।

वर्ष 94–95 में बालिका नामांकन स्तरानुसार पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5 तक (6–11 आयु वर्ग) 19.53 लाख, कक्षा 6–8 (11 से 14 आयु वर्ग) 4.33 लाख, कक्षा 9–12 (14 से 17 आयु वर्ग) 2.36 लाख है । अलोच्य वर्ष में अनुमानित जनसंख्या से वास्तविक नामांकन का प्रतिशत क्रमशः 64.62, 26.42 व तथा 12.00 है ।

बालिका शिक्षा स्तरानुसार ड्राप आऊट इस प्रकार प्राथमिक स्तर 58.97 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर 17.27 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 52.19 प्रतिशत ।

बालिकाओं को विद्यालय में ठहराव हेतु अनेक योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं । जिसके फलस्वरूप ड्राप आऊट प्रतिशत कम हुआ है ।

वर्ष 94–95 में बालिका शिक्षा के नामांकन वृद्धि एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की महती योजना प्रारम्भ की है । इस योजना में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत 15.36 लाख बालिकाओं को 4 करोड़ 83 लाख रूपये की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई है ।

बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा की योजना प्रारम्भ की हुई है ।

ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "आंगन शाला" नामक अभिनव योजना प्रारम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आंगन में ही बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध

कराने को इच्छुक शिक्षक महिला को प्रशिक्षण देकर सरस्वती शाला संचालन करने पर 4000/- प्रतिवर्ष की दर से तीन वर्ष तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जावेगा ।

राज्य में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 5 जिलों एवं रेगिस्तान क्षेत्र के 4 जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बालिकाओं को पोशाक हेतु दी जा रही 60/- की राशि में वृद्धि कर 90/- प्रति छात्रा किया गया है तथा यह राशि वर्ष 94-95 से लागू की गई है ।

राज्य में कुल 11 महिला शिक्षा महाविद्यालय है इनमें कुल 1150 सीटें है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक सामान्य शिक्षा महाविद्यालय में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है ।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लगभग 200 अनुदानित बालिका विद्यालयों को अनुदान राशि में वृद्धि कर 90 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त 43 नवीन बालिका विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया ।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग के सभी 6 सम्भागीय मुख्यालयों पर 50-50 की क्षमता के बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है ।

राज्य में बालिका शिक्षा बढ़ावा देने के लिए "बालिका शिक्षा फाउण्डेशन" स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इस फॉउण्डेशन हेतु एक करोड़ रूपये का राज्यांश राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

वर्ष 94-95 में नवीन बालिका प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में खोले गये । बालिकाओं के लिए वर्ष 1994-95 में 89 उच्च प्राथमिक, 20 माध्यमिक तथा 51 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर बालिकाओं के लिए पृथक सुविधाओं का विस्तार किया गया है ।

.....12.....

§ 5 § केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं -

§ 1 § विकलांग शिक्षा -

माइल्ड मोडरेट विकलांगता की श्रेणी के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सामान्य विद्यालय में ही की गई है । गम्भीर विकलांगता की श्रेणी के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था विशेष विद्यालयों द्वारा की जाती है । सभी प्रकार के विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था दो प्रकार के विद्यालयों द्वारा की जाती है ।

§ अ § विकलांग एकीकृत शिक्षा योजना -

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत सन् 77-78 में आरम्भ हुई इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 41 विद्यालय विभिन्न मुख्यालयों पर चल रहे है जिनमे 23 उच्च प्राथमिक एवं 18 उच्च माध्यमिक विद्यालय है । इनमें विकलांग बच्चों का नामांकन लगभग 1199 है । इन बच्चों की प्रभावी शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत 86 सन्दर्भ अध्यापकों की व्यवस्था की गई है । जिनमे से 9 अध्यापक एक वर्षीय बहुविकलांगता शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त है ।

§ ब § द्वितीय प्रकार के विद्यालय -

§ विकलांगता विशेष से सम्बन्धित है § राज्य में इस श्रेणी के कुल 22 वि विद्यालय संचालित है जिनमें 19 विद्यालय गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा तथा 3 राजकीय विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे है । ये विद्यालय विकलांगतावार तीन श्रेणियों के है । § 1 § दृष्टिहीन बच्चों के विद्यालय § 2 § मूकबधिर बच्चों के लिए विद्यालय § 3 § मानसिक विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय । इनके लगभग 3000 नामांकन है । इन विद्यालयों को राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है । राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा इन विद्यालयों के छात्रावास, भोजन व छात्रवृति की व्यवस्था की जा रही है ।

विकलांग शिक्षा योजना हेतु वर्ष 94-95 में 62.88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया जिसमे से 50.77 लाख रुपये व्यय हुए ।

§ स § विकलांग एकीकृत शिक्षा प्रयोजना पी.आई.ई.डी. § छबड़ा § -

यह योजना केन्द्र सरकार व युनिसेफ की सहायता से राज्य में पंचायत समिति छबड़ा § जिला बांरा § में नवम्बर, 1987 से संचालित की जा रही है । इस योजना में विकलांग बालकों की पहचान एवं स्वास्थ्य की जांच कराई जाती है ।

तथा विकलांग बालकों को उपकरण पोशाकें, पाठ्य भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता दिया जाता है ।

छब्ड़ा योजनाअन्तर्गत वर्ष 94-95 में 16.83 लाख का प्रावधान किया जिसमेंसे 12.81 लाख रूपये व्यय किये गये ।

(ii) अनौपचारिक शिक्षा -

राजस्थान में औपचारिक शिक्षा सुविधाओं की सतत वृद्धि एवं उनकी हजारों गाँवों उपलब्धता के बावजूद लाखों बालक बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते है । ऐसे बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1975 में 230 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से आरम्भ की गई । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग के उन बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जो किन्हीं कारणों से शाला जाने से वंचित रह जाते है । या प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते है । इन केन्द्रों पर पाठ्यक्रम द्विवर्षीय होता है । शिक्षार्थी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की द्वितीय इकाई पूर्ण करने पर उसके लिए परीक्षा व्यवस्था है । परीक्षा उत्तीर्ण करने पर शिक्षार्थी को औपचारिक विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश पाने का पात्र हो जाता है । समय विभाजन के अनुसार एक से तीन इकाई प्रथम 6 माह, चार से सात इकाई द्वितीय 6 माह तथा 8 से 11 इकाई 13 से 24 माह की समय अवधि में होती है ।

(क) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

वर्ष 1994-95 में 3200 नवीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किये गये जिनमे से 2839 केन्द्र कार्यरत है । वर्तमान में राज्य की 165 पंचायत समितियों में कुल 119 परियोजनाऐं स्वीकृत है जिनमें से 53 परियोजनाऐं बालक वर्ग में तथा 66 परियोजनाऐं बालिका वर्ग में है । कुल स्वीकृत 13600 केन्द्रों में से 5469 बालक केन्द्र तथा 6565 बालिका केन्द्र कुल 12034 केन्द्र संचालित है ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वैच्छिक संस्थाओं, शिक्षाकर्मी परियोजना एवं लोक जुम्बिश द्वारा भी संचालित किये जा रहे है ।

(ख) नामांकन

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में वर्ष 94-95 में कुल 3.39 लाख बालक-बालिकाऐं अध्ययन कर रहे हैं । इनमे से 1.39 लाख बालक एवं 1.99 लाख बालिकाऐं है ।

इनमें 0.73 लाख अनुसूचित जाति एवं 0.69 लाख अनुसूचित जनजाति के है तथा बालिकाओं का अनुपात कुल शिक्षार्थियों मे से लगभग 69.81 है ।

§ग§ पठन पाठन सामग्री –

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निश्चित मानदण्डों के अनुसार शिक्षार्थियों को पठन–पाठन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ।

§घ§ प्रशिक्षण

अनौपचारिक शिक्षा कार्य केन्द्र स्तर पर अनुदेशकों द्वारा किया जाता है जिनको प्रतिमाह रूपये 200 /– मानदेय दिया जाता है । लगभग 10 केन्द्रों के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है तथा पंचायत समिति स्तर पर परियोजना अधिकारी कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है । जिला स्तर पर सहायक निदेशक पूर्ण कार्यक्रम के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है ।

§ड.§ वित्तीय प्रबन्ध

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के सहयोग से संचालित हो रहा है । भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान बालक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा बालिका अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए क्रमशः 60:40 एवं 90:10 है । प्रबन्धन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान 60:40 है ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रथम वर्ष में 4150 रू. तथा दूसरे वर्ष 3640 रू दिये जाने का पूर्व में प्रावधान था जिसे भारत सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण करने हेतु एक केन्द्र की लागत अब 9925 रू कर दिया है ।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु चालू वर्ष में भारत सरकार से 1263.31 लाख रूपया उनके अंशदान स्वरूप प्राप्त हुआ । राज्य हिस्सा 314.61 लाख व्यय किये । केन्द्रीय हिस्सा बालक केन्द्रों पर 365.12 लाख एवं बालिका केन्द्रों पर 662.85 लाख व्यय किये गये ।

14.....

§ iii § ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना –

प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राजस्थान वर्ष 1987-88 से "ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड" कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में दो कक्षा कक्ष बरामदा एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक टायलेट सुविधाएँ, दो अध्यापक जिसमें एक पद सम्भव महिला अध्यापिका होनी चाहिए । न्यूनतम आवश्यक सामग्री यथा अध्ययन-अध्यापक सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, खेल सामान, संगीत यन्त्र, ब्लेक बोर्ड आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया ।

ब्लेक बोर्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 94-95 में एक अध्यापकीय प्राथमिक विद्यालय में 3646 अध्यापकों के पदों का सृजन कर इन सभी विद्यालयों को दो अध्यापकीय विद्यालयों में बदल दिया गया । 4000 प्राथमिक विद्यालयों को 3000रू की दर से राशि उपलब्ध कराई गई जिससे फर्नीचर, दरी पट्टिट आदि क्रय की गई ।

"ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड" योजना तहत 961 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भारत सरकार ने 50,000 रू की दर से 480.50 लाख रू की राशि प्राप्त की गई । इसमें से 470.90 लाख रू. राशि की स्वीकृति सामग्री क्रय हेतु जारी की गई । उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची को अन्तिम रूप दिया गया ।

प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष-कक्ष निर्माण हेतु राज्य योजना से शिक्षा विभाग के अंशदान के रूप में 425 लाख रू की स्वीकृति जारी की गई । जे0आर0वाई0 के अन्तर्गत कुल 1574.32 लाख रू. का निर्माण कार्य हो सकेगा ।

ब्लेक बोर्ड ऑपरेशन योजना के अन्तर्गत 2391.86 लाख रूपो की राशि वर्ष 94-95 मे व्यय की गई ।

§ iv § सीमान्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम –

सीमान्त क्षेत्रीय चार जिले जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर की चयनित पंचायत समितियों में यह योजना चलाई जा रही है । इस योजना के तहत विद्यालय भवन निर्माण के अतिरिक्त अध्यापक, छात्रावास सुविधाएँ तथा न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है ।

§V§ विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा योजना -

राजस्थान में केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1988 से विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा प्रारम्भ की गई है । राज्य में प्रायोगिक तौर पर यह योजना जयपुर एवं अजमेर जिलों में क्रियान्वित की गई है । पर्यावरण परियोजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से विद्यालयों में पौधशाला लगाने, पौधशाला प्रभारी के प्रशिक्षण, पौधशाला से जुड़े छात्र/छात्राओं का भ्रमण, दृश्यावलोकन आदि का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा, गोष्ठियाँ, पाठ-संरचना तथा पाठ्य-पुस्तकों में उसके अनुसार संशोधन करने के लिए कार्यशाला के आयोजन की भी व्यवस्था है । जयपुर एवं अजमेर जिलों के 700 विद्यालयों में नर्सरी की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 94-95 में इस योजना पर 27.56 लाख रूपये व्यय किया गया ।

§VI§ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान §डाईट्स§ -

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य के कुल 31 जिलों मेंसे 27 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों §डाईटस§ की स्थापना हो चुकी है । नवीन 4 जिलों यथा राजसमंद, बांरा, दौसा एवं हनुमानगढ़ में डाइट्स की स्थापना किया जाना शेष है । जिसके लिए पृथक से प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है ।

राज्य में संचालित 27 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्ष 94-95 में कुल 546 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये । जिनसे 15134 सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया गया ।

राज्य की कुल 27 डाईट में प्रति डाईट 50 छात्र संख्या के हिसाब से कुल 1350 सीटें है । 27 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्ष 94-95 में कुल 2685 छात्र-छात्राओं को सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

वर्ष 94-95 में राज्य सरकार का व्यय प्रावधान 14.38 लाख एवं केन्द्रीय सरकार का व्यय प्रावधान 832.00 लाख रूपये रखा गया । केन्द्रीय बजट का 473.74 लाख व्यय किया गया ।

§VII § जनसंख्या शिक्षा योजना –

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आर्थिक अनुदान एवं एस. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली के शैक्षिक मार्गदर्शन में 1981 से यह योजना एस. आई. ई. आर. टी. उदयपुर द्वारा पूरे राज्य में संचालित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत नई पीढ़ी में बढ़ती जनसंख्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित किया जा रहा है । इसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से संदेश दिए जा रहे है । प्रायोजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है । 40 पुस्तकों, 12 पोस्टर एवं खेलों का विकास कर विद्यालयों तक पहुंचाया गया है । वर्ष 94-95 में इस योजना पर 3.12 लाख रूपये व्यय किये गये ।

§VIII§ शिक्षा कर्मी योजना :–

राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित समस्याग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों की समस्या के निवारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा कर्मी परियोजना अक्टूबर 1987 से आरम्भ की गई । इसके संचालन हेतु स्वायत्तशासी संस्था राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड का गठन किया गया। यह योजना सीडा के सहयोग से चलाई जा रही है । कुल व्यय का 90 प्रतिशत सीडा से प्राप्त होता है तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है । इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित गांव के शिक्षित युवक-युवतियों को गांव वालों की सहमति से चयन कर प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण में सफल होने के बाद उन्हें विद्यालयों में पंचायत समिति के शिक्षक के स्थान पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इन्हें शिक्षा कर्मी कहते है । इस योजना के अन्तर्गत दिवस पाठशालाऐं, प्रहर पाठशालाऐं, आंगन पाठशालाऐं आदि चलाई जा रही है । इसमें बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है ।

सत्र 94-95 में यह परियोजना राज्य के 27 जिलों की 79 पंचायत समितियों के 1230 ग्रामों के विद्यालयों में 3050 शिक्षा कर्मियों द्वारा संचालित हुई । इन शिक्षाकर्मियों द्वारा 2860 प्रहर पाठशालाऐं भी संचालित की गई । विद्यालयों एवं प्रहर पाठशालाओं में 64690 बालक तथा 48200 बालिकाऐं (कुल 112890) अध्ययनरत रहे । महिला टास्कफोर्स के सदस्यों द्वारा 14 जिलों के ग्रामों का भ्रमण कर 118 महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है ।

17.....

वर्ष 94-95 में शिक्षा कर्मी परियोजना में कुल 837.83 लाख रूपये व्यय हुए है । जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 644.05 लाख रूपये है ।

§ 18 § लोक जुम्बिश परियोजना :-

लोक जुम्बिश परियोजना का लक्ष्य जन उत्प्रेरण एवं लोक भागीदारो के माध्यम से सन् 2000 तक राज्य के सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का संतोषजनक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना है । यह परियोजना स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण § सीडा § भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 3:2:1 के अनुपात में आर्थिक सहयोग से जून, 92 से चलाई जा रही है । जून 94 में इस परियोजना का प्रथम चरण पूर्ण हुआ है । द्वितीय चरण का कार्यकाल जून 97 तक रहेगा ।

वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 25 विकास खण्डों में चलाई जा रही है जोकि विभिन्न भौगोलिक स्थितियों वाले 20 जिलों में स्थित है, साथ ही सभी 25 विकास खण्ड शैक्षिक दृष्टि से भी कमजोर है । आगामी एक वर्ष में 32 और विकास खण्डों में परियोजना का विस्तार होने का अनुमान है ।

लोक जुम्बिश परियोजना अन्तर्गत दिसम्बर 94 तक 116 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये, 62 प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किये । अतिरिक्त अध्यापकों के पद सृजित तहत 348 पद प्राथमिक विद्यालयों में, 90 पद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सृजित कराये गये । 1253 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ एवं 123 शिक्षा कर्मी विद्यालय प्रारम्भ किये गये । 1500 विद्यालयों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई । 777 ग्रामों के शाला मानचित्रण कार्य पूर्ण कराया गया । 252 विद्यालय भवनों के विकास का कार्य प्रारम्भ कराया गया ।

जुलाई, 94 में चार विकास खण्डों की 18000 बालिकाओं को निःशुल्क विद्यालयी पोशाक प्रदान की गई । इन्ही चार खण्डों के लगभग 4000 बालक बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकों के अलावा शिक्षण सामग्री भी निःशुल्क वितरित की गई जिसका नामांकन व ठहराव पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

वर्ष 94-95 में लोक जुम्बिश योजना के अन्तर्गत संशोधित अनुमान 220.00 लाख रूपये के विरूद्ध 253.13 लाख रूपये व्यय किया गया है ।

(X) राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां :-

इस योजना में ग्रामीण प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन कर रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों का जिला स्तर पर परीक्षा आयोजन के पश्चात चयन किया जाता है । वर्ष 94-95 में इस योजना पर 0.56 लाख रूपये व्यय किये गये ।

(XI) संस्कृत छात्रवृति :-

संस्कृत विषय के अध्ययन के प्रति छात्रों का रूझान बढ़ाने हेतु कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को संस्कृत छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है । छात्रों का चयन वरीयता के आधार पर किया जाता है । वर्ष 94-95 में इस योजना पर 0.66 लाख की राशि व्यय की गई ।

(XII) व्यावसायिक शिक्षा :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजस्थान राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यावसायिक शिक्षा 1987-88 से दस जमा दो स्तर पर प्रारम्भ की गयी । शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाकर मानव शक्ति का उपयोग मांग एवं पूर्ति में सन्तुलन बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है । इस योजना का प्रबन्ध स्तरवार निदेशालय, जिलेस्तर, विद्यालय स्तर एवं एस. आई. ई. आर. टी. उदयपुर को व्यावसायिक शिक्षा विंग द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है ।

वर्तमान में 17 पाठ्यक्रमों के साथ 155 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों मे योजना चल रही है । लड़कों की 118 जिनमें 99 राजकीय, 08 अनुदानित और सरकारी, 11 गैर सरकारी असहायता प्राप्त विद्यालय है । लड़कियों के 37 विद्यालय है जिनमे 31 राजकीय 03 गैर सरकारी अनुदानित, 03 गैर सरकारी असहायता प्राप्त है ।

व्यावसायिक शिक्षा में वर्ष 94-95 मे कुल नामांकन 13460 रहा जिसमें 9928 बालक एवं 3532 बालिकाऐं है । कक्षा 11 में कुल 7060 छात्र/छात्रा एवं कक्षा 12 में 6400 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है । व्यावसायिक शिक्षा का वर्ष 1994 में परीक्षा परिणाम 52.07 प्रतिशत रहा ।

राज्य में वर्ष 94-95 से 15 विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई है । प्रायोगिक रूप से प्राथमिक चरण में यह योजना उन्हीं सोनिपत माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ की गई जहां जमा दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पहले से चल रही है । पूर्व व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित 7 विषयों मेंसे 4 विषयों की सुविधा उक्त विद्यालयों में उपलब्ध होगी ।

वर्ष 94-95 में व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत राज्य व्यय 102.36 लाख एवं केन्द्रीय व्यय 304.93 लाख राशि किया गया ।

पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत वर्ष 94-95 में राज्य व्यय 0.79 लाख रूपये किया गया ।

(XIII) विज्ञान शिक्षण सुधार योजना :-

वैज्ञानिक अभिवृत्ति को बढ़ावा देने एवं विज्ञान के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राज्य में वर्ष 87-88 में चालू की गयी । यह योजना 27 जिलों में पांच चरण में लागू की गई । योजना के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान किट उपलब्ध कराना/माध्यमिक व सी0सै0वि0 में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराना, नई प्रयोगशाला एवं विद्यालयों में उपकरण उपलब्ध कराना है । इस योजना के तहत वर्ष 94-95 में 190.15 लाख की राशि व्यय हुई है ।

(XIV) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की प्रतिभा विकास योजना -

यह योजना भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता के अन्तर्गत वर्ष 87-88 से चालू है । उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को प्रातः एवं सांय-कालीन विशेष कक्षाऐं लगाई जाकर पांच विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । यह योजना राज्य के 3 विद्यालयों में संचालित है । इस योजना के तहत वर्ष 94-95 में 2.85 लाख रूपये की राशि व्यय हुई है ।

(XV) आई. ए. एस. ई. /सी. टी. ई. :-

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत दो राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण

महाविद्यालय बीकानेर, अजमेर को वर्ष 88-89 मे तथा गैर राजकीय क्षेत्र के विद्याभवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर, गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सरदारशहर (चूरू) को वर्ष 92-93 में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में क्रमोन्नत किया गया तथा तीन गैर राजकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय क्रमशः जोधपुर, हटुण्डी (अजमेर) एवं डबोक (उदयपुर) वर्ष 92-93 में (सी.टी.ई.) मे क्रमोन्नत किये गये । उच्च अध्ययन संस्थान, सी.टी.ई. व क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है । इस योजना के तहत वर्ष 94-95 में 44.29 लाख की राशि व्यय की गई ।

(XVI) शैक्षिक प्रौद्योगिकी (ई.टी. योजना) —

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना अन्तर्गत राज्य के प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में रंगीन टेलीविजन एवं रेडियो कम कैसेट प्लेयर (आर०सी०पी०) उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । आलोच्य वित्तीय वर्ष में 1600 रंगीन टी.वी. एवं 6715 आर.सी.सी.पी. हेतु 250.01 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

(XVII) राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के के सुदृढ़िकरण की योजना :-

एस.आई.ई.आर.टी. की सुदृढ़िकरण योजना हेतु केन्द्रीय सरकार 50 % सहायता उपलब्ध कराता है । वर्ष 94-95 में 26.34 लाख रूपये व्यय किये गये ।

(XVIII) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सघन क्षेत्र कार्यक्रम —

भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शतप्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर सघन क्षेत्र कार्यक्रम प्रारम्भ किया । राजस्थान राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जैसलमेर जिले का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है । इस जिले में लगभग 25% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है ।

इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में 54 कक्षा कक्षों का निर्माण एक बालिका छात्रावास निर्माण अध्ययन अध्यापक सामग्री, 22 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना है । वर्ष 94-95 में केन्द्रीय बजट राशि 62.76 लाख रूपये व्यय किये गये ।

§ XIX § एस. आई. ई. आर. टी. में अंग्रेजी शिक्षा के लिए जिला केन्द्रीय योजना

अंग्रेजी शिक्षा के लिए जिला केन्द्र योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना शतप्रतिशत सहायता से चलाई जाती है । वर्ष 94-95 में 0.24 लाख रूपये व्यय किये गये ।

§ XX § अंग्रेजी शिक्षा उन्नयन योजना

राज्य में अंग्रेजी शिक्षा उन्नयन हेतु एस. आई.ई. आर. टी. उदयपुर द्वारा यूनिसेफ की सहायता से यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलाई जाती है । वर्ष 94-95 में योजना पर कुल 1.25 लाख रूपये व्यय किया गया ।

§ XXI § क्लास प्रोजेक्ट योजना -

कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत "क्लास प्रोजेक्ट" नामक योजना वर्ष 94-95 में प्रारम्भ की गयी । क्लास प्रोजेक्ट राज्य के 125 सी0ओ0एम0विद्यालयों में संचालित है । वर्ष 94-95 में 130.50 लाख रूपये व्यय किये गये ।

§ XXII § जवाहर नवोदय विद्यालय --

नई शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जा रहे है । ये विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य कर रहे है । राज्य के 31 जिलों मे से 27 जिलों मे इन विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है । इन विद्यालयों का नियन्त्रण केन्द्रीय विद्यालय संगठन § क्षेत्रीय कार्यालय § दुर्गापुरा जयपुर द्वारा किया जाता है ।

(6) शिक्षा के क्षेत्र में अन्य योजनाएँ –

1– प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम –

राजस्थान में वर्ष 1976 में ग्रामीण साक्षरता योजना अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । प्रौढ़ शिक्षा का वर्तमान में मुख्य उद्देश्य 9 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षरों को जीवनोपयोगी साक्षरता कौशल प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, महिला समानता एवं छोटे परिवार के गुणों पर भी पूर्ण ध्यान देना एवं राज्य में निरक्षरता रूपी अभिशाप को समाप्ति व शिक्षा रूपी प्रकाश के प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित है ।

राज्य स्तर पर निदेशक प्रौढ़ शिक्षा एवं जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक जिले में एक पद प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी कार्यरत है जो जिले में प्रौढ़ शिक्षा एवं सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम की सुचारू क्रियान्विति, प्रबंधन, मूल्यांकन आदि कार्य हेतु उत्तरदायी है ।

राज्य में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का शुभारम्भ वर्ष 1990 में अजमेर जिले से हुआ । वर्तमान में राज्य के 15 जिलों में यह अभियान विभिन्न चरणों में क्रियान्वित है । अजमेर एवं डूंगरपुर जिले सम्पूर्ण साक्षर घोषित किये जा चुके है । इन जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम क्रियान्वित है ।

साक्षरता अभियान हेतु भारत सरकार, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत राशि का दो तिहाई भाग वित्तीय सहयोग के रूप में प्रदान करती है । वर्ष 94-95 से जनजाति आयोजना क्षेत्र को जिलों के लिए भारत सरकार का अनुपात 2:1 से बढ़कर 4:1 कर दिया गया है ।

सम्पूर्ण साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम अभियान के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में 18-18 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जाकर लाभान्वित किया गया है । इनमें से 4.37 लाख व्यक्ति उत्तर साक्षरता तथा 13.81 लाख व्यक्ति सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे है ।

वर्ष 1994-95 में प्रदेश की प्रमुख दो स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 0.38 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जाकर उनको लाभान्वित किया गया ।

बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति एवं सेवा मन्दिर उदयपुर द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है ।

2- श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों को प्रोत्साहन -

शिक्षा के स्तर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत बोर्ड परीक्षा मे श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाता है । वर्ष 1994 में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले 24 माध्यमिक/सी0मा0 विद्यालयों का चयन किया गया । प्रत्येक विद्यालय को पारितोषिक के रूप में दस-दस हजार रूपये प्रदान किये गये । इन चयनित 24 विद्यालयों मेसे सर्वश्रेष्ठ दो विद्यालयों को 5-5 हजार रूपये अतिरिक्त स्वीकृत किये गए है । इस राशि का उपयोग सम्बन्धित विद्यालय के शैक्षिक विकास हेतु किया जाता है ।

3- छठा राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वे -

छठा राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वे भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से राज्य में संपादित करने का निर्णय लिया गया । माह जनवरी 95 तक जिला सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा अपने जिलों के प्रपत्रों की जांच का कार्य 22 जिलों में पूर्ण हो चुका है, शेष में कार्य प्रगति पर है । राज्य सर्वेक्षण अधिकारी एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा 22 जिलों में जांच का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । 15 जिलों के डेटा की एन्ट्री "डाटा एन्ट्री एजेन्सी" द्वारा की जा चुकी है ।

4- शिक्षक सदन -

शिक्षकों को ठहरने की सुविधा देने की दृष्टि से राज्य के चार जिलों में शिक्षक कल्याण कोष से "शिक्षक सदन" बनाये जाने के तहत बीकानेर में तथा जयपुर में शिक्षक सदन बनकर पूर्ण हो चुके है । शिक्षक सदनों के भवन निमार्ण हेतु शिक्षक कल्याण कोष से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं साज-सज्जा हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है । उदयपुर एवं जोधपुर में भी शिक्षक सदन बनाये जाने की योजना है ।

-5 विद्यालय संकुल की स्थापना --

शिक्षा की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन विद्यालय स्तर पर विचारों, अनुभवों और सुविधाओं के आदान-प्रदान के लिए "विद्यालय संकुल" एक महत्वपूर्ण [illegible] शिक्षा के सार्वजनीकरण सहभागिता तथा गुणात्मक विकास के लक्ष्य भी प्राप्त किये जा सकेते है ।

विभाग ने सत्र 94-95 से प्रत्येक जिले में एक विद्यालय संकुल स्थापित करने का निर्णय लिया जिसके तहत प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जिले में एक विद्यालय संकुल स्थापित किया गया ।

§ 7 § शारीरिक शिक्षा –

प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर माध्यमिक विद्यालय तक किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा सभी स्तरों पर लागू है । माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तो यह अनिवार्य विषय है । विद्यालयों खेल-कूद पिटो, ड्रिल एवं योगासन आदि के नियमित आयोजन हेतु स्पष्ट निर्देश है । शाला पंचाग में भी विभिन्न खेल-कूद जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हेतु तिथियां निर्धारित रहती है । शारीरिक शिक्षा में योग शिक्षा, पर्वतारोहण, सुदूर क्षेत्रीय विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, शिक्षक खेल-कूद प्रतियोगिता एवं मंत्रालयिक कर्मचारी क्रिड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ।

§ 8 § आयोजना एवं प्रशासन

8.1 योजना एवं लेखा —

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा वर्ष 94-05 में नियत्रित मदों के आधार पर स्वीकृत आय-व्यय का विवरण इस प्रकार है :-

आय-व्यय § राजस्व § वर्ष 94-95 § राशि लाखों में §				
मद	बजट प्रावधान	अतिरिक्त आवंटन	अन्तिम अनुदान	व्यय
1. आयोजना भिन्न	94534.13	103659.74	103867.37	105550.94
प्रभूत	0.25	2.25	1.13	1.13
2. आयोजना	20585.21	18861.38	18959.80	18839.52
3. केन्द प्रवर्तित	4437.16	6082.88	5705.52	5637.35
योग § दत्तमत §	119556.50	128604.00	128534.69	130027.81
प्रभूत	0.25	2.25	1.13	1.13

.....25..

11 वार्षिक योजना 1994-95 (राशि लाखों में)

मद	वास्तविक योजना	संशोधित योजना	योजना व्यय
राज्य योजना			
1. प्रारम्भिक शिक्षा	13482.00	11788.77	11773.11
2. माध्यमिक शिक्षा	8241.54	8361.54	8360.07
3. शारीरिक शिक्षा	69.00	62.80	60.29
4. सार्वजनिक पुस्तकालय	20.00	20.00	19.73
योग	21812.54	20233.11	20213.20
केन्द्र प्रवर्तित योजना			
1. प्रारम्भिक शिक्षा	3649.49	5006.21	4326.94
2. माध्यमिक शिक्षा	424.42	796.88	693.43
योग केन्द्र प्रवर्तित योजना	4073.91	5803.09	5020.37

8.2 पेन्शन स्थिरीकरण —

माहवार पेन्शन स्थिरीकरण निर्णित प्रकरण की प्रगति वर्ष 94-95

माह 1	पेंशन प्रकरण 2	स्थिरीकरण प्रकरण 3	प्रावधायी निधि प्रकरण 4	सामान्य लेखा नियम (03) प्रकरण 5
अप्रैल, 94	–	78	31	51
मई, 94	320	63	38	31
जून, 94	171	32	09	23
जुलाई, 94	217	32	78	105
अगस्त, 94	221	29	60	30
सितम्बर, 94	95	32	54	65

......26.....

1	2	3	4	5
अक्टूबर, 94	246	59	80	55
नवम्बर, 94	101	28	34	18
दिसम्बर, 94	229	84	56	61
जनवरी, 95	293	74	56	87
फरवरी, 95	266	84	35	55
मार्च, 95	176	57	47	100
योग	2336	652	1118	681

वर्ष 94-95 में कुल पेंशन प्रकरण 2335, स्थिरीकरण652, प्रावधायी निधि 1118 एवं सामान्य लेखा नियम 303 के 681 मामले निपटाये गये ।

8.3- न्यायिक प्रकरण —

राज्य के विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 1994-95 के अन्त तक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित लम्बित न्यायिक प्रकरण पूर्व विचाराधीन तथा नये दायर हुए एवं निर्णित हुए तथा शेष रहे कि स्थिति निम्नलिखित अनुसार है :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	31 मार्च, 94 विचाराधीन	1 अप्रेल 94 से 31 मार्च 95 तक प्राप्त	1 अप्रेल 94 से 31 मार्च 95 तक निर्णय	31 मार्च को विचाराधीन शेष
1.	सी.पी.सी.	0127	0125	0127	0125
2.	सिविल वाद	2518	0605	0174	2945
3.	अपील अधिकरण	0164	0007	-	0171
4.	राजस्थान गैर सिविल संस्थान अधिकरण	0036	0140	-	0176
5.	राज0उच्च न्यायालय जोधपुर	1184	0300	0129	1355
6.	राज0उच्च न्यायालय, जयपुर	1271	0306	0106	1471
7.	अवमाननावाद	0136	0015	0034	0117
योग		5432	1498	0570	6360

वर्ष 94-95 के प्रारम्भ में 5432 न्यायिक प्रकरण विचाराधीन थे । वर्ष में 1498 प्रकरण नये दायर हुए इनमेंसे 0570 प्रकरण निर्णित हुए एवं वर्ष के अन्त में 6360 न्यायिक प्रकरण शेष रहे ।

.... 27....

8. 4 – विभागीय जांच प्रकरण –

वर्ष 94–95 में विभागीय जांच प्रकरण की स्थिति –

क्र. स.	विचाराधीन प्रकरण	मार्च94 तक लम्बित प्रकरण	अप्रैल94 से मार्च95तक प्राप्त	योग	निर्णित प्रकरण	शेष प्रकरण मार्च95 तक
1.	सी. सी. ए. नियम–17	144	98	242	155	87
2.	सी. सी. ए. नियम–16	81	09	90	16	74
3.	प्राथमिक जांच	395	66	461	165	296
4.	अपील	37	15	52	24	28
5.	निलम्बन	12	04	16	04	12
6.	विभागीयजांच है नहीं नहीं के प्रमाण पत्र	–	1475	1475	1475	–

उपरोक्त के अलावा वर्ष 94–95 में डी. पी. सी. सम्बन्धी सूचियों का परीक्षण किया । गत वर्षों में न्यूनतम परीक्षा परिणाम रहे संस्था प्रधानों, प्रधानाध्यापकों वरिष्ठ अध्यापकों के विरूद्ध अनुशासन कार्यवाही हेतु मण्डल कार्यालयों को निर्देशित किया गया । लम्बे समय से निम्बित चले आ रहे अराजपत्रित लोकसेवकों को नियमानुसार बहाल करने हेतु निर्देश जारी किये गये । लम्बित जांच प्रकरणों को त्वरित गति से कार्यवाही करने हेतु नियुक्ति जांच अधिकारियों को जांचकर प्रतिवेदन भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

8. 5 – राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूचियां प्रकरण –

वर्ष 94–95 में जो उपलब्धियां हुई उसका विवरण इस प्रकार है–

1–	अध्यापक ग्रेड द्वितीय श्रेणी	86–88 तक
2.	अध्यापिका ग्रेड द्वितीय श्रेणी	86–88 तक
3.	पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय	87–88 तक
4.	पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम	84–85 तक
5.	व्याख्याता पुरूष	71–81 तक
6.	व्याख्याता महिला	71–81 तक
7.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष	88–89 तक
8.	उप जि0शि. अ.& शा. शि.&	83–84 तक
9.	प्रधानाचार्य, सी. मा. वि. एवं समकक्ष	94–95 तक

एवं 1. 4. 95 को स्थिति मण्डल की वरिष्ठता सूचियां वर्ष 90–91 तक मार्च95 तक जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

28.....

8.6- राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान :-

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, बीकानेर द्वारा उन अध्यापकों एवं उनके आश्रितों को सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय रुपये 20हजार तक होती है । राजस्थान में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितम्बर के अवसर पर झंडियों एवं कागपताकाओं की बिक्री का शुभारम्भ किया जा कर जनसंग्रह किया जाता है । इस अवसर पर सिनेमा शो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन एवं दानदाताओं से दान प्राप्त कर धन राशि एकत्रित की जाती है । 10% एकत्रित धन राशिका भारत सरकार को जाता है तथा शेष 90 % राज्य के शिक्षकों के कल्याणार्थ उपयोग में ली जाती है । राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को केन्द्रीय कोष हेतु प्रतिवर्ष रुपये 25000 अनुदान देना होता है । निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, सचिव व कोषाध्यक्ष है ।

वर्ष 94-95 में शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में 40.76 लाख रुपये राशि जमा हुई है । वर्ष 94-95 में दी गई सहायतार्थ अध्यापकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 29 प्रकरणों में रु. 58000/ दिये गये ।

8.7- हितकारी निधि :-

हितकारी निधि योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में शिक्षा विभाग के कार्य रत समस्त अधिकारी, व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों अध्यापकों, मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों (चु. श्र.) तथा उनके परिवार के कल्याणार्थ हितकारी निधि नियम 1975 प्रसारित किया । राज्य के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को निर्धारित दर पर वार्षिक अंशदान देना होता है । इस प्रकार प्राप्त धन राशि से कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों को रुपये 4000/ की सहायता एवं गम्भीर बीमारी पर उनको तथा उनके परिवार को सहायतार्थ रुपये 3000/ तक सहायता दी जाती है । कर्मचारियों के निधन पर रु. 1500 की तत्काल सहायता दिये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को रु 5000/ की अग्रिम राशि दी जाती है । शेष राशि रु 2500/ की सहायता हेतु निदेशालय को प्रकरण भिजवाने पर तत्काल सहायता स्वीकृत कर दी जाती है । यदि तत्काल सहायता स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में समस्त राशि हितकारी निधि द्वारा दी जाती है ।

वर्ष 94-95 में हितकारी निधि से निधन पर कर्मचारियों के आश्रितों को 96 प्रकरणों में सहायतार्थ 2.53 लाख रुपये एवं बीमारी पर 30 प्रकरणों में सहायतार्थ 0.64 लाख रुपये दिये गये ।

8.8— छात्र-वृत्तियाँ –

मेधावी, निर्धन एवं जरूरतमंद छात्र/छात्रा अर्थाभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रह जावे इस दृष्टि से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाऐं विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है।

1. संस्कृत विषय में प्रतिभा रखने वाले छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति –

उक्त योजना में 50% राशि राज्य सरकार व 50% राशि केन्द्र सरकार देय करती है। राशि 12 माह के लिए दी जाती है। सत्र 94-95 में मण्डल अधिकारियों को राशि का आवंटन निम्नवत किया गया :-

	राज्य निधि	केन्द्र निधि
स्वीकृत	72000/	72000/
आवंटन	69320/-	69760/
बचत	2680/	2240/

2- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजना :-

योजना के अन्तर्गत वर्ष 94-95 में निदेशक, समाज कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 93.02 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई। जिसका उपयोग निम्नानुसार किया गया :-

राशि	लाभान्वित		
	अनु. जाति	जनजाति	योग
स्वीकृत राशि 93.02 लाख			
आवंटित राशि 93.02 लाख	398	326	724

3. शिक्षा विभाग के बजट मद से सत्र 94-95 में निम्नानुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डल अधिकारियों (पुरुष/महिला) को योजनावार छात्रवृत्ति राशि आवंटित की गई :-

क्र.स.	छात्रवृत्ति योजना का नाम	लाभान्वित छात्रसं.	देय राशि (लाखों रुपयों में)
1	2	3	4
1.	ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति	5079	20.10
2.	अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति	6000	6.00
3.	मृत राज्य कर्मचारी के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	1482	14.48

30.......

1	2	3	4
4.	मृतक राज्य कर्मचारी के बच्चों को एस. टी. सी. हेतु देय छात्रवृति	147	00.735
5.	स्वतन्त्रता सेनानी के बच्चों को छात्रवृति	40	00.004
6.	प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति/जनजाति की कक्षा 10 की ग्रामीण बालिकाओं के शैक्षिक अभिवृद्धि छात्रवृति	182	10.41

8. 9- अनुदानित संस्थाऐं-

राज्य में गैर सरकारी संस्थाओं ने शिक्षा प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित संस्थाऐं अनुदान प्राप्त है :-

क्र. सं.	संस्थाओं का प्रकार	अनुदान प्रतिशत					
		50%	60%	70%	80%	90%	योग
1.	अ. प्राथमिक	254	66	73	33	13	439
	ब. उच्च प्राथमिक शिक्षा	103	49	76	29	9	266
	स. माध्यमिक शिक्षा	20	77	27	19	2	145
	द. उच्च माध्यमिक शिक्षा	11	14	28	41	24	118
	य. अन्य	25	26	34	34	41	160
योग		413	232	238	156	89	1128
2.	संस्कृत	24	7	17	18	5	71
महायोग		437	239	255	174	94	1199

वर्ष 94-95 में राज्य के 1199 गैर सरकारी अनुदान प्रदान संस्थाओं को लगभग 35.56 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया।

.....31.....

8.10- शिक्षक दिवस समारोह -

शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष योग्य एवं समर्पित शिक्षकों को राज्य स्तर पर शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) पर सम्मानित करता है एवं इस अवसर पर राज्य के सृजनशील शिक्षक साहित्यकारों की रचनाओं की विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाता है। वर्ष 94-95 में जयपुर में राजकीय समारोह आयोजित कर शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा 5 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। अब तक 819 शिक्षक राज्य स्तर पर एवं 172 शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जा चुके है तथा शिक्षक दिवस प्रकाशन की श्रृंखला में 1967 से अब तक 141 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है।

(9) पुस्तकालय (समाज शिक्षा) -

राज्य में वर्ष 94-95 में 42 सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यरत है। इसमें केन्द्रीय पुस्तकालय -1, मण्डल पुस्तकालय-5, जिला पुस्तकालय-27 एवं तहसील पुस्तकालय-9 है। राज्य में कुल 16 वाचनालय, 85 निजी क्षेत्र में पुस्तकालय है।

वर्ष 94-95 हेतु केन्द्रीय क्रय एवं राजा राममोहन राय संस्थान योजना अन्तर्गत पुस्तकें क्रय करने हेतु 282 प्रकाशकों से नमूने की पुस्तकें प्राप्त की जा कर दिनांक 20 व 21 फरवरी 95 को समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 273 पुस्तकों का चयन (राशि 6.00 लाख रुपये) किया गया। चयनित पुस्तकों की समीक्षा कार्य विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों द्वारा सम्पन्न किया जा कर प्रकाशकों को पुस्तकों के क्रय आदेश दिए जाने हेतु सूची राजा राममोहन राय संस्थान, कलकत्ता को भेजी गई। प्रकाशकों द्वारा सीधे ही राज्य के समस्त सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकें भेजी गयी।

केन्द्रीय क्रय के तहत 1.00 लाख रुपयों की पत्रिकाओं का चयन किया गया। प्रकाशकों को उसके क्रय आदेश जारी किये गये एवं उनके द्वारा सीधे ही पुस्तकालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को पत्रिकाऐं भेजी गयी।

राजकीय सार्वजनिक तहसील पुस्तकालय, शिवगंज (सिरोही) के नवीन भवन निर्माण हेतु जिलाधीश से 13 बीघा भूमि आवंटित हुई। स्थानीय दानदाता से भवन निर्माण की सहमति के लिए अभी प्रेरित कराया गया एवं भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवायी गई।

राज्य के विभिन्न राजकीय प्राथमिक राजकीय उच्च प्राथमिक, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को समृद्धि हेतु उन्हें 6930 पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की गई ।

मानव संसाधन मंत्रालय की 8वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूरे देश मे प्रत्येक पंचायत में एक-एक (स्कूल कम विलेज लाईब्रेरी) की योजना है । इस हेतु राजस्थान में 23 पुस्तकालय खोले जाने है । इस हेतु प्रस्ताव समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) में प्राप्त कर सहमति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये गये है । इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से पुस्तकालय खोले जायेंगें ।

जनवरी 1995 में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेला में 8 सदस्य विशेषज्ञ दल ने उपस्थित रहकर लगभग 800 पुस्तकों का विद्यालय हेतु चयन किया ।

(10) शिक्षक प्रशिक्षण –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा गुणात्मक सुधार पर विशेष बल दिया गया । शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है । माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा हेतु राज्य में वर्ष 94-95 में कुल 39 बी0एड0व शिक्षा शास्त्री शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कार्यरत है, जिनमें 2 राजकीय, 01 केन्द्रीय व शेष गैर राजकीय है । राज्य में संचालित एम0एड0, बी0एड0 व शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु सीटों का विवरण निम्नानुसार है :-

कुल शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	एम. एड. की सीटें	बी. एड. की सीटें	शिक्षा शास्त्री बी सीटें	योग
39	–	4960	480	5440
11 (39में शामिल)	262	—	—	262

राज्य में कुल 39 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 12 महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है, इनमें 1150 सीटें है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक सामान्य शिक्षा शिक्षक महाविद्यालय में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित है ।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राज्य में 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा 3 सी.टी.ई. संस्थाएँ कार्यरत है जिसमें एम.एड.व बी.एड के साथ साथ वर्ष भर सेवारत अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है । वर्ष 94-95 में आई.एस.ई. बीकानेर व अजमेर द्वारा 996 सेवारत अध्यापकों एवं सी.टी.ई. जोधपुर द्वारा 158 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया ।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु वर्ष 94-95 में कुल 43 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाऐं है जिनमें 27 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, 8 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा 8 गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय कार्यरत है इनमें 2685 छात्र-छात्राओं को सेवापूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

राज्य में संचालित 27 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 94-95 में कुल 546 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये जिनमें 15134 सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया ।

§ 11 § शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं —

निदेशालय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं कार्य कर रहा है । प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की वर्ष में दो बार § मुख्य व पूरक § परीक्षा आयोजित की जाती है । प्रशिक्षण में प्रवेश पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र भरने से लेकर परिणाम घोषणा एवं अंकतालिका व प्रमाण पत्र वितरण तक का कार्य किया जाता है ।

विभिन्न विभागीय मुख्य परीक्षाऐं § अप्रैल मई-जून, 1994 §

1- शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा मई	2512 छात्रों
2- शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष " "	4247 "
3. शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष पूर्ववर्ती परीक्षा मई	325
4- शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष पूरक § द्वि-अवसर § परीक्षा मई	6
5- शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष पूर्ववर्ति परीक्षा मई	300
6- शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष पूरक § द्वि-अवसर § परीक्षा मई	85
7- पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण § नियमित § परीक्षा मई	77
8- शारीरिक शिक्षक प्रमाण परीक्षा अप्रैल	235
9- " " " " जून	212

10 शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा परीक्षा जून 091 छात्रों
11 विभिन्न संगीत परीक्षाऐं जुलाई 272 "

2- विभिन्न पूरक एवं विशेष परीक्षा नवम्बर, 94

1. शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष (विशेष) संविदा अध्यापक नवम्बर 1085 "
2. शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष पूरक " " नवम्बर 87 "
3. शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष पूरक " " नवम्बर 559 "

(12) विभागीय प्रकाशन-

शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन अनुभाग की ओर से सम्पूर्ण शिक्षा जगत को जानकारी देने एवं शिक्षा निर्णायक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए प्रतिमाह शिविरा पत्रिका और प्रति तिमाही नया शिक्षक प्रकाशित किया जाता है। शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 35 वां वर्ष है। शिविरा पत्रिका को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपनी विशिष्ट पहचान है। वर्तमान में इसकी मासिक प्रसार संख्या 31000 है। राजस्थान के शिक्षा जगत के विभिन्न आयामों से सम्बन्धित, विचार लेख तथा महत्वपूर्ण आदेशों एवं परिपत्र इस मासिक पत्रिका के माध्यम से विद्यालयों व अध्यापकों तक पहुंचते है। विभाग "नया शिक्षक" शीर्षक से मासिक पत्रिका का हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशन करता है जिसमें गम्भीर प्रकृति चिंतन परक लेख प्रकाशित किये जाते है। इसकी वर्तमान प्रसार संख्या-लगभग 12000 है।

शिविरा पत्रिका में प्रति वर्ष विद्यालय पंचाग छापा जाता है जिससे कि राज्य की समस्त विद्यालयों में नियमानुसार समयबद्ध शैक्षिक कार्य, खेल कूद आदि प्रवृतियां संचालन में मदद मिलती है। 5 सितम्बर, शिक्षक दिवस पर, 5 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है।

(13) शिक्षक संघों की भूमिका तथा उनकी रचनात्मक सहयोग:—

शिक्षकों की भूमिका तथा उनके द्वारा अपेक्षित कार्य शिक्षक संघों के संविधान में वर्णित है। उनका वास्तविक कार्य शैक्षिक उन्नयन है। वे अपने अधिकारों के लिए तो संघर्ष करते रहे है किन्तु कर्तव्यों के प्रति विमुख रहे रहे है। शिक्षक संघों में अदम्य उत्साह एकजुटता एवं सृजन शक्ति है। वे [illegible] सामाजिक परिवर्तन के पुर्नउद्धारक बन सकते है। शिक्षक संघ शैक्षिक योजनाओं

के क्रियान्वितो में विशेष योगदान दे सकते हैं । देश का चरित्र निर्माण करने भावी पीढ़ी को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उनकी भूमिका सराहनीय हो सकती है ।

निदेशालय के प्रशासनिक अनुभाग मे शिक्षक संघ, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ, प्रयोगशाला सहायक संघों व अन्य संघों से सम्बन्धित पत्रों, मांगों पर कार्यवाही को जाती है । समय-समय पर इन संघों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री से निदेशक उनकी मांगों पर वार्ता करते हैं ।

§14§ विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण —

शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए निम्नलिखित विशिष्ट अभिकरण भी कार्यरत है ।

1- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
2- शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर
3- प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जयपुर §अनौपचारिक शिक्षा§
4- राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
5- शिक्षा कर्मी बोर्ड, जयपुर
6- परियोजना निदेशक, लोक जुम्बिश, जयपुर
7- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
8- संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर
9- राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर

....36.....

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016 D-9326
DOC, No.
Date 25-10-96

(15) शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकाएँ वर्ष 94-95

सारणी -1

आयु वर्गानुसार बालक/बालिकाओं की अनुमानित जनसंख्या व नामांकन (30. 9. 94)

आयु वर्ग	अनुमानित जनसंख्या (94-95) 00 में			नामांकन 00 में		
	बालक	बालिका	योग	छात्र	छात्रा	योग
06-11	31972	30229	62201	36054	19533	55587
11-14	17368	16390	33758	12146	4330	16476
14-17	20946	19667	40613	7705	2362	10067
योग	70286	66286	136572	55905	26225	82130

सारणी-2

राज्य में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति (30. 9. 94)

शाला का प्रकार	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक	00014	0012	00026
प्राथमिक	30837	2123	32960
उच्च प्राथमिक	9893	1342	11235
माध्यमिक	2847	434	3281
सीनियर माध्यमिक	1005	276	1281
योग	44596	4187	48783

सारणी -3

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति (30. 9. 94)

शाला का प्रकार	ग्रामीण	शहरी	योग
1. पूर्व प्राथमिक	00004	0022	00026
2. प्राथमिक	28699	4261	32960
3. उच्च प्राथमिक	8729	2506	11235
4. माध्यमिक	2650	631	3281
5. सीनियर माध्यमिक	577	704	1281
योग	40659	8124	48783

सारणी-4

स्तरानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति नामांकन (30.9.94)

स्तर/आयु वर्ग	अनुसूचित जाति नामांकन 00			जनजाति नामांकन 00 में		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5 तक (6-11 वर्ष)	6281	2880	9161	4166	1696	5862
कक्षा 6 से 8 तक (11-14 वर्ष)	1784	422	2206	1130	220	1350
कक्षा 9 से 12 तक (14-17 वर्ष)	1027	139	1166	701	79	780
महायोग	9092	3441	12533	5997	1995	7992

सारणी - 5

राज्य में विद्यालयवार अध्यापकों की स्थिति (30.9.94)

विद्यालय का प्रकार	कुल अध्यापक संख्या		
	पुरूष	महिला	योग
पूर्व प्राथमिक	00031	00206	00237
प्राथमिक	67370	25568	92938
उच्च प्राथमिक	64959	23012	87971
माध्यमिक	31168	10348	41516
सोनिपर माध्यमिक	25329	10551	35880
योग	188857	68685	258542

सारणी-6

राज्य में विद्यालयवार नामांकन (30-9-94)

विद्यालय	छात्र	छात्रा	योग
1. पूर्व प्राथमिक	0002688	0002292	0004980
2. प्राथमिक	2287952	1217907	3505859
3. उच्च प्राथमिक	1858457	859502	2717959
4. माध्यमिक	729455	267514	996969
5. सोनिपर माध्यमिक	711901	275348	987249
महायोग	5590453	2622563	8213016

सारणी-7

विद्यालयवार छात्र-अध्यापक अनुपात (वर्ष 94-95)

विद्यालय	मापदण्ड	94-95
प्राथमिक	40:1	38:1
उच्च प्राथमिक	30:1	31:1
माध्यमिक	20:1	24:1
उच्च माध्यमिक	20:1	27:1

सारणी -8

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, परीक्षा परिणाम वर्ष 94-95

क्रस.	परीक्षा का नाम	पंजिकृत	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण प्रतिशत
1-	माध्यमिक	407872	376059	45.50%
2-	उच्च माध्यमिक (अकादमिक)	236833	212132	45.20%
3-	उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक)	6581	6318	49.11%

NIEPA DC
D09326

...ARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9326
Date 22-10-97

गौड़/